

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, प्रयागराज

फोन नं०- 2411855, 2423698, फैक्स 0532-2423720

e-mail: nczcc@rediffmail.com, website: www.nczcc.in

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों के भोजन (Catering Services) हेतु केन्द्र परिसर के अन्दर एवं शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग कार्यों की आपूर्ति किये जाने अथवा लगाने हेतु अनुभवी पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र केन्द्र कार्यालय के लेखा अनुभाग से रू० 500/- नगद अथवा ड्राफ्ट जो (निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के पक्ष में देय हो) प्रति निविदा प्रपत्र जमा करने पर दिनांक 14.09.2023 से 27.09.2023 तक दिन में 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निविदा प्रपत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। शुल्क निदेशक उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के नाम ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ ही संलग्न करना होगा। निविदा दिनांक 05.10.2023 को केन्द्र में अपराह्न 2:00 बजे तक जमा की जायेगी। प्राप्त सभी निविदाओं को दिनांक 05.10.2023 को ही सायं 3:00 बजे तक केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा फार्म बिक्री की अन्तिम तिथि	निविदा जमा तिथि एवं समय	निविदा खोलने का समय
1	कलाकारों हेतु भोजन की आपूर्ति (Catering Services)	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	27.09.2023 को अपराह्न 03:00 बजे तक	05.10.2023 को अपराह्न 2:00 बजे	05.10.2023 को अपराह्न 3:00 बजे



निदेशक

निविदा की शर्तें


1. जलपान एवं भोजन की दरें प्रति प्लेट प्रति व्यक्ति के अनुसार अलग मदों में प्रस्तुत करनी होंगी।
2. निविदादाता की कोई भी शर्त अलग से केन्द्र को मान्य नहीं होगी।
3. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को स्वीकृत दरों पर कार्य को दो या दो से अधिक ठेकेदारों के बीच बांटने का अधिकार होगा।
4. फर्म के द्वारा जिन कार्यों के लिए निविदा भरी जा रही है, फर्म को उस क्षेत्र में कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
5. सामानों के कार्य स्थल तक ले आने व ले जाने एवं निर्देशित स्थान पर लगाने का व्यय, सामानों के बदलने एवं पुनः लगाने का व्यय दरों में ही सम्मिलित होगा।
6. भोजन की आपूर्ति केन्द्र परिसर, प्रयागराज नगर में की जायेगी। दी गयी दरों में सामानों की आपूर्ति/सर्विसेज का व्यय भी सम्मिलित होगा।
7. सामानों की आपूर्ति में सभी तरह की प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित होगी परंतु Act of God जैसे दंगा, अग्निकांड, वर्षा आदि से हुई क्षति उक्त प्रतिपूर्ति में शामिल नहीं होगी। कार्यस्थल पर किन्ही कारणों से यदि कार्यक्रम पहले समाप्त हो जाता है तो वास्तविक उपयोग अवधि का भुगतान देय होगा।
8. भोजन की मात्रा आवश्यकतानुसार समयबद्ध तालिका के अनुसार केन्द्र के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा सूचित किया जायेगा।
9. कार्यक्रमों के दौरान भोजन बनाने (रसोई हेतु स्थान) के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्र द्वारा रसोई के स्थान पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु फर्म द्वारा रसोई स्थल पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा बन्द डिब्बे में कूड़ेदान का प्रयोग किया जायेगा।
10. केन्द्र द्वारा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु फर्म द्वारा भोजना सामग्री बनाने में विद्युत हीटर का प्रयोग वर्जित होगा।
11. खाने की सर्विसेज (Catering Space) के लिए केन्द्र द्वारा अस्थाई शामियाना, टेबल फ्रिल सहित व आवश्यकतानुसार कुर्सियां उपलब्ध करायी जायेंगी, परन्तु कैटरिंग सामग्री व टेबल पर पेपर रोल फर्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। खाने के स्थान (Dinning Space) पर सफाई का विशेष ध्यान फर्म को रखना होगा।
12. कुक एवं कैटरिंग सर्विस सभी कर्मचारियों (Waiters and cooking staff) की वेशभूषा एवं व्यवहार प्रेजेन्टेबल होना चाहिए।
13. भोजन पकाने में अधिकाधिक सरसों के तेल का प्रयोग किया जायेगा, अत्यन्त आवश्यक होने पर ही रिफाइन्ड तेल का प्रयोग किया जायेगा। सब्जियां प्रतिदिन के ताजी स्थानीय बाजार से उपलब्ध कराना होगा।
14. खाने-पीने की सभी वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
15. खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस का प्रयोग सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करते हुए करना होगा।



निविदादाता के हस्ताक्षर.....

16. केन्द्र द्वारा (Catering Services) सर्विसेज का आवंटन एल-1 फर्म के आधार पर आवंटित किया जायेगा, परन्तु गुणवत्ता उचित नहीं पाये जाने पर कार्य को एल-2 फर्म को एल-1 की दरों पर उचित गुणवत्ता के आधार पर कर दिया जायेगा।
17. फर्म के द्वारा भोजन की गुणवत्ता एवं सेवाओं का विशेष ध्यान रखना होगा। फर्म के द्वारा दरें इस प्रकार दी जायें की भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
18. निविदादाता को स्पष्ट रूप से अपनी दरों को शब्दों एवं अंकों में इंगित करना होगा यदि शब्दों एवं अंकों में अन्तर पाया जाता है तो दोनों में जो कम होगा उसी को सही माना जायेगा। जिस सामग्री की दर नहीं अंकित की गयी उसके आगे निरंक लिख दिया जाय।
19. कोई भी निविदा बिना रू0 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) की धरोहर धनराशि (Earnest money) के स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता द्वारा अग्रिम धन की राशि नकद/डाक बचत, पासबुक/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में (निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के पक्ष में जमा) करनी होगी।
20. केन्द्र के द्वारा जिस फर्म को कार्य का आवंटन किया जायेगा। फर्म के द्वारा जमानत राशि के रूप में 25000.00 जमा करनी होगी। शेष फर्म में जिनके पक्ष में आवंटन नहीं किया गया है उनके द्वारा जमा की गई ई0एम0डी0 की राशि रू0 20000.00 नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
21. निविदादाता को अपनी कार्यक्षमता प्रमाणित करनी होगी।
22. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे तीन दिनों के भीतर अनुमानित कार्य की मात्रा तीन प्रतिशत जमानत राशि के रूप में केन्द्र में जमा करनी होगी अन्यथा धरोहर राशि (Earnest Money) जब्त कर ली जायेगी।
23. स्वीकार की गयी निविदा की दरें निविदा आवंटन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होंगी।
24. निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र को यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा को या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें अथवा केन्द्र के हित में किसी एक निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप में स्वीकार कर लें। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सभी को मान्य होगा।
25. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र ठेकेदार को किसी भी प्रकार का परमिट/लाइसेन्स दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
26. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र किसी भी प्रकार का ट्रक, वैगन, लारी आदि के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
27. स्रोत पर कर-कटौती लागू नियमों के अनुसार भुगतान के समय केन्द्र द्वारा की जायेगी। दरों पर जी.एस.टी. का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। स्पष्ट उल्लेख न होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि दरें फर्म के द्वारा जी.एस.टी. सहित दी गई है।
28. निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ अपनी फर्म का पैन, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र भी संलग्न करें अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर.....



29. यदि किसी निविदादाता की अग्रिम धनराशि/जमानत राशि किसी अन्य टेण्डर के विरुद्ध केन्द्र में जमा है तो उस राशि का प्रयोग इस निविदा के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा।
30. निविदादाता के द्वारा कृकिंग में प्रयुक्त सामग्री में केवल सरसों का तेल (ब्राण्डेड) देशी घी (ब्राण्डेड) एवं सभी प्रकार के पैकड मसाले एवं सेंधा नमक (ब्राण्डेड) आटे का प्रयोग केवल (ब्राण्डेड) एवं चावल उच्चकोटी का प्रयोग किया जायेगा। खुले मार्केट में खुली सामग्री का प्रयोग एवं आयोडिन नमक का प्रयोग वर्जित होगा। इसके साथ ही पीने के पानी के लिए केवल जार का आपूर्तित पानी ही प्रयोग में लाया जाये।
31. उपरोक्त सभी के समर्थन के लिए निविदादाता को यह स्पष्ट निर्देश होगा कि सामग्री के आपूर्ति के समय ही केन्द्र द्वारा नियुक्त कैंटीन अधिकारी से लिखित रूप में सामग्री के गुणवत्ता की सत्यापना करा लें।
32. नियम, शर्त एवं दरों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक होगा। ऐसा न पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। इस हस्ताक्षर का मतलब है कि निविदाकर्ता ने सारे नियम/शर्तें पढ़ कर समझ ली हैं और वह उनसे पूर्णतया सहमत हैं।

घोषणा

मैं/हम.....पुत्र श्री.....फर्म.....पता.....
 यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम एवं शर्त पढ़ और समझ ली है।
 मैं/हम.....पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांक:—



निविदादाता के हस्ताक्षर
 फर्म का नाम व पता
 मो०नं०—
 टिन नं०—
 पैनकार्ड नं०—
 टैक्स नं०—

**कलाकारों एवं कर्मचारियों हेतु भोजन व्यवस्था
कार्य का विवरण**

क्र.सं.	अवधि	खाद्य पदार्थ/सामग्री का विवरण	दरें (प्रति व्यक्ति/प्रति प्लेट)
1.	प्रातः 5:00 बजे से 8:00 बजे तक	ब्रेड टी:- (प्रातः चाय)- चीनी एवं बिना चीनी के (चाय बनाने के अधिकतम 30 मिनट के अन्दर प्रयोग कर ली जाय इसके उपरान्त फर्म को पुनः चाय तैयार करनी होगी)	
2.	प्रातः 8:00 बजे से 11:00 बजे तक	नाश्ता:- पूड़ी-भाजी एवं जलेबी अथवा पोहा, उपमा एवं हलवा अथवा इडली सांभर एवं जलेबी अथवा छोला भटूरा, हलवा या बालू शाही एवं चाय	
3.	दोपहर 1:00 बजे से 3:30 बजे तक	दोपहर भोजन:- दाल- दाल फ्राई/दाल तड़का/दाल मखनी सब्जी- मौसमी सूखी सब्जी रसेदार सब्जी- पनीर युक्त सब्जी रायता, चटनी, सलाद (मौसमी), पापड़, अचार, चपाती एवं चावल (उच्च गुणवत्ता का) तथा गुड़ के साथ	
4.	सायं: 4:30 बजे से 6:30 बजे तक	सायं चाय:- चीनी एवं बिना चीनी के साथ में एक नमकीन- पपड़ी, समोसा, खस्ता, ब्रेड पकौड़ा, टिकिया, पकौड़ी अथवा अन्य नमकीन।	
5.	रात्रि 8:00 बजे से 11:00 बजे तक	रात्रि भोजन:- दाल- दाल फ्राई/दाल तड़का/दाल मखनी सब्जी- मौसमी सूखी सब्जी रसेदार सब्जी- पनीर युक्त सब्जी रायता, चटनी, सलाद (मौसमी), पापड़, अचार, चपाती एवं चावल (उच्च गुणवत्ता का) तथा एक मिठाई के साथ	



नोट: 1. फर्म के द्वारा सब्जी, नाश्ता, दाल की विभिन्नता का विशेष ध्यान रखना होगा तथा किसी भी प्रकार का व्यंजन लगातार दो समय नहीं परोसा जाय। प्लेट का अर्थ व्यक्ति की संतुष्टि की सीमा तक होगी। तथा कैटरिंग में प्रयुक्त क्राकरी अन्य ब्रेकबिल तथा पानी का गिलास (कागज वाला) ही प्रयोग किया जाये और समूह में पानी का जार फर्म के द्वारा देय होगा। इसके लिए फर्म किसी अतिरिक्त धनराशि मांग नहीं करेगा।

2. केन्द्र में बुलाये गये विशिष्ट अतिथि को खाना एवं नाश्ता सर्व किये जाने की स्थिति फर्म के द्वारा बोन चाइना या बोरोसिल की क्राकरी का प्रयोग वर्दी व दस्ताना युक्त वेटर

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

के द्वारा किया जायेगा। इस कटेगरी में फर्म द्वारा सर्विस के लिये अतिरिक्त धनराशि की मांग अधोलिखित तरीके से कर सकता है।

1. हाई.टी@ -----/प्रति व्यक्ति (200 एम.एल. मिनरल वाटर के साथ)
2. खाना @ -----/प्रति व्यक्ति (500 एम.एल बोतल के साथ)
3. डिब्बा बन्द नाश्ता—एक मिठाई—खोये की वर्फी/पतिसा
नमकीन—दो समोसे/पेटीज/सैण्डवीज
बेफर्स—20 ग्राम
200 एम.एल. पानी के साथ
दर@ -----/प्रति डिब्बा



निविदादाता के हस्ताक्षर.....